स.ए. 20011/4/2020 - हिंदी
भारत सरकार/ Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police Wireless

खण्ड सं ,9 .के.स.का .परिसर/Block No.9, C.G.O., Complex,
लोधी रोड ,नई दिल्ली/Lodhi Road, New Delhi-3

दिनांक /Dated: 13 अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक की कार्यवृत्त ।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मार्च 2022 तिमाही की बैठक दिनांक 30 मार्च 2022 को 1200 बजे श्री रमेश कुमार सिद्धार्थ, भा.दू.से., निदेशक, स.नि.पु.बे. की अध्यक्षता में ऑनलाइन आयोजित की गई। बैठक में कार्यसूची के अनुसार विचार-विमर्श करके आवश्यक निर्णय लिए गए।

2. बैठक की कार्यवृत्त की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों एवं निदेशालय के सभी अनुभाग अधिकारियों की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेषित की जा रही है।

3. समिति के सभी सदस्यों और संबंधित अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए की गई कार्रवाई से राजभाषा अनुभाग को पत्र जारी होने के एक माह के भीतर अवगत करवा दें ताकि निदेशालय की अगली तिमाही बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।

4. यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

13.04.2022
(डॉ. राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष : 011-24361588
ई-मेल आईडी- rajivkumar.79@dcpw.gov.in

संलग्नक: यथोपरि।

प्रति:-

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।
2. सभी अनुभाग अधिकारी।
3. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली ।
4. उप निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरीफोर्ट, नई दिल्ली।
5. स.नि., सूचना और प्रौद्योगिकी- अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग की वेबसाइट (Circular भाग) पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ:-

1. निदेशक के प्रधान निजी सचिव।
2. निदेशक (राजभाषा), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, आठवां तल, एनडीसीसी-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली- 110001 को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

13.04.2022

(डॉ. राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
(राजभाषा अनुभाग)

विषय: समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (मार्च 2022 तिमाही) की कार्यवृत्त ।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मार्च 2022 तिमाही की बैठक श्री रमेश कुमार सिद्धार्थ, भा.दू.से., निदेशक, स.नि.पु.बे. महोदय की अध्यक्षता में दिनाँक 30 मार्च 2022 को 1200 बजे निदेशालय (मुख्यालय) में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गयी। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

क्र. सं.	नाम व पदनाम	
1.	श्री रमेश कुमार सिद्धार्थ, भा.दू.से., निदेशक, स.नि.पु.बे.	अध्यक्ष
2.	श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)	सदस्य
3.	डॉ. सुरेश विनायक, संयुक्त निदेशक (संचार)	सदस्य
4.	श्री घन श्याम, संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
5.	श्री विद्याधर, उप निदेशक (बीजलेख)	सदस्य
6.	श्री एच. एस. श्रीहरी, उप निदेशक (पोलनेट एवं संचार)	सदस्य
7.	श्री हेमन्त कुमार, उप निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
8.	श्री राजेश कुमार सिंह, उप निदेशक (समन्वय)	सदस्य
9.	डॉ. राजीव कुमार सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा)	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय सहित सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। बैठक में कार्यसूची के अनुसार विचार-विमर्श करके आवश्यक निर्णय लिए गए, जो निम्नानुसार हैं :-

मद संख्या 1. पिछली बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि. बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा निदेशालय की पिछली बैठक जो 23 दिसम्बर 2021 को सम्पन्न हुई थी उसकी कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या 2. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा. निदेशालय की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई और निम्नानुसार आवश्यक निर्णय लिए गए :-

1. हिंदी में कार्य करने के लिए वार्षिक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2020-21. निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए हिंदी में कार्य करने हेतु जो वार्षिक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना चलाई गई है, उसमें जिन कार्मिकों ने भाग लिया है उन कार्मिकों को मानदंड के आधार पर पुरस्कार देने हेतु मूल्यांकन समिति का गठन किया जाए।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग

2. पाठ्यक्रम समिति रिपोर्ट -2019 के हिंदी रूपांतरण में तकनीकी शब्दों की सुसंगतता की जांच. समिति के निर्णय के अनुसार पाठ्यक्रम समिति रिपोर्ट-2019 के हिंदी रूपांतरण में हिंदी के तकनीकी शब्दों की सुसंगतता की जांच एवं समीक्षा हेतु प्रशासन अनुभाग द्वारा संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें उप निदेशक (समन्वय) एवं सहायक निदेशक (प्रशासन) सदस्य हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करने के बाद अध्यक्ष महोदय ने यह जानना चाहा कि क्या समिति हिंदी के तकनीकी शब्दों की गुणवत्ता की जांच करेगी या मानक हिंदी अनुवाद की जांच करेगी। अध्यक्ष महोदय ने किए गए अनुवाद की मानक के विषय में सदस्य सचिव से जानना चाहा तो सदस्य सचिव ने बताया कि अनुवाद मानक शब्दों के अनुरूप है। निदेशक

महोदय ने संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) से कहा कि पाठ्यक्रम समिति रिपोर्ट के हिंदी अनुवाद में जो शब्द आपको असंगत लग रहे हैं उनकी सूची सहायक निदेशक (राजभाषा) को यथा-शीघ्र दे दें, और उसके बाद सहायक निदेशक (राजभाषा) अनुवाद में यथा-संशोधन कर उसे अंतिम रूप देंगे ताकि इसे प्रकाशित करवाया जा सके।

कार्रवाई- सी.पी.आर.टी.आई/ हिंदी अनुभाग

3. **अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक/हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन**. समिति को सूचित किया गया कि सभी 31 अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों द्वारा मार्च 2022 तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक और हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस पर समिति ने प्रसन्नता जताई और निर्णय लिया गया कि भविष्य में भी सभी स्टेशन प्रत्येक तिमाही में तिमाही बैठक और हिंदी कार्यशाला का आयोजन करेंगे।

कार्रवाई- सभी अं.रा.पु.बे.के.

4. **हिंदी पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद संबंधी निर्णय**. सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि हिंदी पुस्तकालय हेतु हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए गठित एक क्रय समिति ने पुस्तकों की आपूर्ति हेतु अपनी संस्तुति दे दी है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 के संबंधित बजट शीर्ष में बजट अनुपलब्धता के कारण प्रस्तावित पुस्तकों की खरीद को आगामी वित्त वर्ष 2022-23 तक रोकने की सलाह निदेशालय के लेखा अनुभाग द्वारा संबंधित फाइल पर दी गयी है। निदेशक महोदय ने निर्णय लिया कि आगामी वित्त वर्ष में अप्रैल 2022 के दूसरे सप्ताह में संबंधित फाइल को पुन: रि-वेलीडेट करने की कार्रवाई करें। साथ ही लेखा अनुभाग द्वारा आगामी वित्त वर्ष 2022-23 तक रोकने की सलाह से संबंधित टिप्पणी पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि इस विषय पर लेखा अधिकारी से बात करके आवश्यक कार्रवाई की जाए।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग

5. **हिंदी टंकक हेतु भर्ती का प्रस्ताव**. निदेशालय में हिंदी टंकक के भर्ती के प्रस्ताव से संबंधित निर्णय पर उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा सूचित किया गया कि हिंदी टंकक की सीधी भर्ती निदेशालय द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि यह पद स्वीकृत नहीं है। उन्होंने बताया कि जेम (GeM) के माध्यम से डाटा-इंट्री ऑपरेटर, जो हिंदी टंकक का कार्य जानता हो उसे अनुबंध के आधार पर लेने हेतु कार्रवाई की जाएगी । निदेशक महोदय ने निर्देश दिया कि अगले वित्तीय वर्ष से डाटा-इंट्री ऑपरेटर को जेम (GeM) से नहीं लिया जाएगा, इसे तुरंत प्रभाव से बंद करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने संयुक्त निदेशक (प्रशासन) से जेम (GeM) के माध्यम से हिंदी टंकण जानने वाले विशेषज्ञ व्यक्ति को अनुबंध के आधार पर ले सकने की संभावना की स्थिति के विषय में पता करने का निर्णय लिया।

कार्रवाई- प्रशासन अनुभाग

6. **कार्यालय के दो और अनुभागों को अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु नामित करने का निर्णय**. सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि निर्णय लिया गया था कि निदेशालय के दो और अनुभागों को या अनुभागों में टेबल वाइज अपना काम हिंदी में करने हेतु संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा आपस में एक बैठक करके और चर्चा करके निर्णय लिया जाए। इस संबंध में हिंदी अनुभाग द्वारा निदेशालय के सभी संयुक्त निदेशकों को नेमी टिप्पणी जारी कर सूचित किया गया था। वर्तमान में निदेशालय के प्रशासन, क्रय और भंडार अनुभाग अपना सम्पूर्ण कार्य हिंदी में निष्पादित करने हेतु नामित किए गए हैं। साथ ही संचार अनुभाग की एक यूनिट संचार केन्द्र को भी हिंदी में कार्य करने हेतु नामित किया गया है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 40 प्रतिशत अनुभागों को अपना सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु नामित किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार निदेशालय के दो और अनुभागों को नामित किया जाना अपेक्षित है। इस पर विचार विमर्श करने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि सहायक निदेशक (राजभाषा) इस मद को फाइल में प्रस्तुत करते हुए किन दो अनुभागों को नामित किया जा सकता है, इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग

7. <u>कर्मचारियों हेतु प्रतिमाह और अधिकारियों हेतु प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाने वाली हिंदी **प्रतियोगिता/हिंदी गतिविधि**</u>. सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्णय के अनुसार निदेशालय मुख्यालय में कर्मचारियों के लिए प्रतिमाह एक हिंदी प्रतियोगिता/हिंदी गतिविधि और मार्च तिमाही से प्रत्येक तिमाही में अधिकारियों हेतु एक हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार स्वरूप कोई उपयोगी वस्तु प्रदान की जाती है और उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। दिसम्बर 2021 तक आयोजित प्रतियोगिता के प्रत्येक विजयी प्रतिभागी को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरित किया जा चुका है। जनवरी 2022 से आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने हेतु अग्रिम राशि प्राप्त न होने के कारण पुरस्कृत किया जाना अभी शेष है। निदेशालय मुख्यालय के विजयी प्रतिभागियों को रू. 4500/- की राशि का पुरस्कार देना शेष है, जिसमें अधिकारियों के लिए मार्च 2022 तिमाही के दौरान दिनांक 11 फरवरी, 2022 को आयोजित हिंदी व्याख्यान प्रतियोगिता भी शामिल है। निदेशक महोदय ने रू. 4500/- की राशि जिससे कि विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जा सके, इस संबंध में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति की संभावना के बारे में इसकी जांच करके कार्रवाई करने हेतु कहा।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग

8. **<u>हिंदी कार्यशाला का आयोजन</u>.** सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निदेशालय के कार्मिकों की हिंदी में कार्य करने की झिझक को दूर करने हेतु समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में दिनांक 22 मार्च 2022 को ऑनलाइन माध्यम से एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के वरिष्ठ हिंदी प्राध्यापक को अतिथि वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस कार्यशाला में मुख्यालय सहित अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के 10 अधिकारियों और 30 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस पर अध्यक्ष महोदय ने प्रसन्नता जाहिर की।

9. <u>हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री</u>. सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण मिली जुली भाषा में दिया जाता है, जो ज्यादातर हिंदी में है। केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी भाषा में लिखी तकनीकी पुस्तकों की खरीद हेतु निदेशक महोदय के पास किताबों की खरीद हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही सी.पी.आर.टी.आई. द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में काम करने हेतु समय-समय पर निर्देश दिए जाते हैं। संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा सूचित किया गया कि निधि की अनुपलब्धता के कारण पुस्तकों की खरीद नहीं की जा सकी है, इसे आगामी वित्त वर्ष में किया जाएगा।

कार्रवाई- सी.पी.आर.टी.आई.

10. <u>हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)</u>. निर्णय लिया गया कि श्री एच.एस. श्रीहरि, उप निदेशक (पोलनेट एवं संचार) और श्री एस.चटर्जी, सहायक संचार अधिकारी, जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं हैं, इन्हें केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिनांक 02 मई 2022 से 26 जुलाई 2022 तक संचालित की जाने वाली ऑनलाइन हिंदी भाषा प्रशिक्षण (प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ) में नामित करने हेतु कार्रवाई की जाए। साथ ही श्रीमती शकुन्तला चौहान, निजी सचिव, जो अंग्रेजी आशुलिपिक हैं, इन्हें केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 80 कार्य दिवसीय ऑनलाइन हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण जोकि दिनांक 22 अगस्त 2022 से 14 दिसम्बर 2022 तक संचालित किया जा रहा है, में नामित किया जाए।

कार्रवाई- संबंधित अनुभाग/हिंदी अनुभाग

11. <u>मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण</u>. सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 25 प्रतिशत है। इस प्रकार 8 अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड-19 महामारी की व्यापकता और लॉकडाउन के कारण अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण नहीं किया जा सका। स्थिति सामान्य होने पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषाई

निरीक्षण कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए कहा कि स्थिति सामान्य होना अलग बात है, कोविड-19 महामारी के विषय में डी.ओ.पी.टी. के नवीनतम निर्देश क्या हैं, क्या निरीक्षण प्रत्यक्षत: कर सकते हैं। इस विषय पर संयुक्त निदेशक (प्रशासन) जांच करके तदनुसार कार्रवाई करवाएं।

कार्रवाई- प्रशासन अनुभाग/हिंदी अनुभाग

12. **मुख्यालय स्थित अनुभागों का राजभाषाई निरीक्षण.** सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित 25 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य के अनुसार इस मुख्यालय के चार अनुभागों का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है और सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा मार्च 2022 के तीसरे सप्ताह के दौरान मुख्यालय के पोलनेट हब, क्रय अनुभाग, आई.टी. अनुभाग एवं भूमि व भवन अनुभाग का प्रत्यक्ष रूप से राजभाषाई निरीक्षण किया गया। इस संबंध में निरीक्षित अनुभागों की समीक्षा रिपोर्ट भी उनकी अगली कार्रवाई हेतु भेज दी गई है। इस प्रकार लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इसी प्रकार आगे भी कार्य करने हेतु निर्देश दिए गए।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग

13. **कार्यालयीन कामकाज में अधिकाधिक पत्राचार/ टिप्पण हिंदी में करना.** सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयानुसार भारत सरकार, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (सीआईसी) के दिनांक 06 दिसम्बर 2021 के पत्र संख्या 11017/01/2020-हिंदी के अंतर्गत **"कार्यालयीन कामकाज में अधिकाधिक पत्राचार/टिप्पण हिंदी में करना"** विषय पर प्राप्त पत्र की प्रति हिंदी अनुभाग द्वारा निदेशालय के सभी संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित कर दी गयी है।

कार्रवाई- सभी अनुभाग

14. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक से 15 दिन पूर्व समिति के सभी सदस्यों हेतु एक सलाह (एडवाइजरी) जारी करने के संबंध में.** सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक के आयोजन से पूर्व समिति के सभी सदस्यों को बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा की जानी है, इस संबंध में सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा दिनांक 04 मार्च 2022 के पत्र संख्या ए. 20011/4 (क)/2021-हिंदी के अंतर्गत सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने हेतु एक सलाह (एडवाइजरी) जारी की गयी है।

15. **अध्यक्ष महोदय का निर्णय.** सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन रिपोर्ट लेने और हिंदी पत्राचार को बढ़ाने हेतु सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा समय-समय पर सभी संबंधितों को पत्र जारी किया गया। सभी अनुभागों एवं केन्द्रों को हिंदी पत्राचार और फाइलों पर हिंदी टिप्पणी के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु दिनांक 21 फरवरी 2022 को परिपत्र जारी किया गया। इस पर अध्यक्ष महोदय ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इसी तरह से आगे भी समय-समय पर पत्र जारी किए जाएं ।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग

मद संख्या 3. पिछली हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा. बैठक में निदेशालय की राजभाषा हिंदी की पिछली तिमाही प्रगति रिपोर्ट (दिसम्बर 2021 तिमाही) पर मद-वार चर्चा की गयी और अनुभागों के सितम्बर 2021 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट और दिसम्बर 2021 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की तुलनात्मक समीक्षा की गयी और निम्नानुसार निर्णय लिए गए :-

1. **हिंदी पत्राचार.** सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि हमारा निदेशालय **'क'** क्षेत्र में स्थित है, अत: हमारे निदेशालय के लिए हिंदी पत्राचार का लक्ष्य **'क'** एवं **'ख'** क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के लिए 100 प्रतिशत है एवं **'ग'** क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए 65 प्रतिशत लरक्ष्य निर्धारित है। दिसम्बर 2021 तिमाही में निदेशालय का हिंदी पत्राचार **'क'** क्षेत्र को **75.16 प्रतिशत** हुआ है, जोकि सितम्बर 2021 तिमाही में **74.18** था। इस प्रकार यह

सितम्बर 2021 की **तिमाही** की तुलना में **0.98 प्रतिशत बढ़ा है। 'ख'** क्षेत्र को दिसम्बर तिमाही में **79.90 प्रतिशत** हिंदी पत्राचार हुआ है, जोकि सितम्बर 2021 तिमाही की **79.42** प्रतिशत की तुलना में **0.48 प्रतिशत** बढ़ा है। **'ग'** क्षेत्र को दिसम्बर 2021 तिमाही में 65.53 **प्रतिशत** पत्राचार हुआ है जोकि सितम्बर 2021 तिमाही की **68.02 प्रतिशत** की तुलना में 02.49 **प्रतिशत घटा** है। हालांकि यह **'ग'** क्षेत्र के लिए निर्धारित 65 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक है। इस प्रकार निदेशालय ने **'ग'** क्षेत्र के लिए हिंदी पत्राचार हेतु निर्धारित **65 प्रतिशत** के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अनुभागों की तिमाही रिपोर्ट के संदर्भ में जिन-जिन अनुभागों का हिंदी पत्राचार का प्रतिशत सितम्बर 2021 तिमाही की तुलना में दिसम्बर 2021 तिमाही में कम हुआ है, उनके विषय में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि उन अनुभागों को हिंदी पत्राचार को बढ़ाने हेतु पत्र जारी किया जाए। साथ ही निर्णय लिया गया कि पोलनेट हब संदेश पत्रों को हिंदी में एक्सप्लोर कर भेजने की कोशिश करे ताकि हिंदी पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग एवं सभी अनुभाग

2. __फाइलों पर हिंदी में लिखी गई टिप्पणियाँ.__ सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा फाइलों/दस्तावेजों पर हिंदी टिप्पणियों का लक्ष्य **75 प्रतिशत** निर्धारित है। दिसम्बर 2021 की तिमाही में मुख्यालय का हिंदी टिप्पण **73.79 प्रतिशत** रहा है, जोकि सितम्बर 2021 तिमाही में **77.43 प्रतिशत** की तुलना में 03.64 प्रतिशत घटा है। इस प्रकार निदेशालय का दिसम्बर 2021 तिमाही में हिंदी टिप्पणियों के लिए निर्धारित 75 प्रतिशत लक्ष्य से कुछ कम टिप्पणियाँ हिंदी में लिखी गई हैं। निर्णय लिया गया कि जिन-जिन अनुभागों का हिंदी टिप्पण का प्रतिशत उनके पिछली तिमाही की तुलना में दिसम्बर 2021 तिमाही में कम है, उन्हें पत्र लिखकर हिंदी टिप्पण को बढ़ाने हेतु ठोस प्रयास करने हेतु कहा जाए।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग एवं सभी अनुभाग

__कार्यसूची का मद संख्या **4.** वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 में दिए गए **लक्ष्यों पर चर्चा**.__ बैठक में राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 में निर्धारित लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की गयी और लक्ष्यों को हासिल करने हेतु सभी संबंधितों द्वारा आवश्यक प्रयास किए जाने का निर्णय लिया गया।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग एवं सभी अनुभाग

__कार्यसूची का मद संख्या 5 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य विषय पर चर्चा।__

अध्यक्ष महोद्य द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से उनके अपने-अपने सुझाव देने को कहा गया, इस पर सदस्यों द्वारा अपने-अपने सुझाव दिए गए, जोकि निम्नलिखित हैं : -

1. डॉ. सुरेश विनायक, संयुक्त निदेशक (संचार) द्वारा सुझाव दिया गया कि निदेशालय में समाचार पत्र पुन: चालू करना उचित होगा। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को नियमानुसार अधिकारियों के लिए समाचार पत्र पूर्ववत रूप से मंगाए जाने हेतु उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने हिंदी पुस्तकालय हेतु समाचार-पत्र एवं प्रचलित पत्रिकाओं की दो-तीन प्रतियाँ मंगवाने की कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया, जिसे निदेशालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी पढ़ सकें और वे इन पत्रिकाओं को नियमत: जारी करवा कर अपने परिवार के सदस्यों को पढ़ने के लिए घर भी ले जा सकते हैं।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग एवं प्रशासन अनुभाग

2. __निदेशालय में हिंदी पदों की स्थिति.__ इस पर चर्चा करते हुए संयुक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा समिति को सूचित किया गया कि सहायक निदेशक (राजभाषा) और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक का प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल क्रमश: 20 मई 2022 और 12 अगस्त 2022 को पूरा हो रहा है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने संयुक्त निदेशक (प्रशासन) से सहायक निदेशक (राजभाषा) की प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल को विस्तार करने हेतु उनके पैत्रिक विभाग को शीघ्र पत्र जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल के विस्तारण संबंधी आवेदन पर विभाग को पत्र जारी करने और इसके साथ ही कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद को भरने हेतु विज्ञापन जारी करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग एवं प्रशासन अनुभाग

3. **राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) और राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु जॉच बिंदु तैयार करने के विषय में**. सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत द्विभाषी रूप से जारी किए जाने वाले दस्तावेजों को जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई और राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु जॉच बिंदु प्रति वर्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है। निर्णय लिया गया कि इसे जारी करने संबंधी कार्रवाई की जाए।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग एवं प्रशासन अनुभाग

4. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों हेतु व्यक्तिश: आदेश **प्रतिवर्ष** जारी करना. सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अनुसार हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को व्यक्तिश: आदेश प्रति वर्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है। निर्णय लिया गया कि व्यक्तिश: आदेश जारी करने से संबंधित कार्रवाई की जाए।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग एवं प्रशासन अनुभाग

5. कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के **साथ** आयोजित की जाने वाली बैठकों में हिंदी का मद भी शामिल करना. सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में जब कभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें होती हैं, तो इस बैठक में हिंदी के काम-काज की प्रगति और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन का मद रखना अपेक्षित है और उस पर चर्चा की जानी अपेक्षित है ताकि हिंदी की प्रगामी विकास सुनिश्चित की जा सके। अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लेते हुए संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को कहा कि जब कभी भी हिंदी की तिमाही बैठक के अतिरिक्त अन्य बैठकें होती हैं, तो इसमें हिंदी के मद को भी रखा जाए और सहायक निदेशक (राजभाषा) को भी इस बैठक में शामिल किया जाए।

कार्रवाई. प्रशासन अनुभाग

अंत में कोई मद नहीं होने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में लिए गए निर्णयों पर सभी अधिकारियों द्वारा अपने-अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई और सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक के समापन की घोषणा की गई।

(हस्ताक्षर) 13.04.2022
(डॉ राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

(हस्ताक्षर)